

सेवा में

मार्ग 234

कार्यालय के दिनांक 30.06.2008 के निर्णय/प्राधानों के क्रम में स्ववित्तपोषित योजना

के अन्तर्गत प्राधानों के आधार पर एक वर्ष के लिए

प्रधान सहायक, सहायक में प्रवक्ता गडर (उपाचार्य)/प्रोफसर-(आचार्य) के रूप में

आपको नियुक्त किया जायेगा जो अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है।

1. आप को ₹30 लाख प्रति वर्ष मानदेय प्रति देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

2. आपका पद एक वर्ष के लिए 2008-09 के वैर वारिक स्टाम्प पेपर पर सविदा पत्र पर


के अन्तर्गत प्राधानों के आधार पर प्रस्तावित किया जायेगा जो उल्लेख होगा।

3. आपका नियुक्त होने के लिए आपको एक वर्ष का निरन्तरता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आपके पिछले कार्य के दिनांक 30.06.2008 तक का होगा।

4. आपका नियुक्त होने के लिए आपको एक वर्ष का निरन्तरता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आपके पिछले कार्य के दिनांक 30.06.2008 तक का होगा।

5. आपका नियुक्त होने के लिए आपको एक वर्ष का निरन्तरता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आपके पिछले कार्य के दिनांक 30.06.2008 तक का होगा।

6. आप दिनांक 31.07.2008 तक सविदा के आधार पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें।


कुलसचिव

सविदा के अन्तर्गत प्राधानों के आधार पर एक वर्ष के लिए कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रधान सहायक

सहायक सहायक

सहायक सहायक सहायक सहायक सहायक

सहायक सहायक सहायक सहायक सहायक

सहायक सहायक

सहायक सहायक (प्रशासन)

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur